अध्याय XVI : कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

16.1 मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सीबीआई, नई दिल्ली की सही प्रकार से विद्युत खपत आवश्यकताओं का निर्धारण करने में विफलता तथा अनुबंध मांग को कम करने हेतु कार्रवाई करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 1.42 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने मुख्यालय की बिल्डिंग को विद्युत की आपूर्ति के लिए फरवरी 2011 में 7514 केवीए की संविदा मांग हेतु मैसर्स बीएसईएस राजधानी पावर लि. (बीएसईएस) के साथ अनुबंध किया। सीबीआई ने 7,514 केवीए की संविदा मांग पर ₹ 150/₹125 प्रति केवीएस प्रति माह की दर पर ₹ 11.27 लाख[1]/₹ 9.37 लाख[2] प्रतिमाह (निर्धारित प्रभार) का आवर्ती व्यय किया।

चूंकि अनुबंधित मांग बिल्डिंग की प्रारम्भिक स्तर की योजना पर किए गए निर्धारण पर आधारित थी तथा सीबीआई मुख्यत: ऊर्जा योग्य विद्युत फिक्सचर को अपनाने के कारण पूर्ण संस्वीकृति भार का उपयोग नहीं कर रहा था इसलिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) ने विद्युत आवश्यकता का पुन: निर्धारण किया (नवम्बर 2011) तथा विद्युत भार को 4,294 केवीए तक कम करने का सुझाव दिया। सीबीआई ने अनुबंध मांग को कम करने हेतु बीएसईएस को अनुरोध किया (दिसम्बर 2011)। बीएसईएस ने इस आधार पर अनुरोध को नहीं माना था (जनवरी 2012) कि उनके बीच हुए अनुबंध में निर्धारित किया था कि सहमत की गई शर्तें प्रारम्भ की तिथि से अर्थात् 13 फरवरी 2013 तक दो वर्षों के लिए लागू रहेगी।

बाद में, अक्तूबर 2013 में सीबीआई द्वारा बीएसईएस के साथ बैठक की गई जिसमें यह सहमति दी गई कि अनुबंध मांग को 7,514 केवीए से 4,121 केवीए तक कम कर दिया जाएगा। तद्नुसार, 4,121 केवीए की विद्युत मांग हेतु

---

[1] अवधि: 17 फरवरी 2011 से 31 अगस्त 2011

[2] अवधि: 31 अगस्त 2011 से 31 अक्तूबर 2011

बीएसईएस के साथ एक औपचारिक अनुबंध किया गया था (फरवरी 2014)। परिणामस्वरूप, निर्धारित प्रभारों पर आवर्ती व्यय ₹9.39 लाख से ₹ 5.15 लाख प्रति माह तक कम हुआ।

सीबीआई के बिद्युत बिलों की संवीक्षा से पता चला कि पुननिर्धारित अनुबंध मांग भी वास्तविक खपत, जो मार्च 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 936 से 2,328 केवीए के बीच थी, से काफी अधिक थी। इस प्रकार, 2,600 केवीए की खपत की वास्तविक सीमा को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने विद्युत, जिसका वास्तव में उपयोग नहीं किया गया था उसके प्रति मांग प्रभार (125 प्रति केवीए की दर पर) अदा किए थे जिसका परिणाम ₹ 1.42 करोड़ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि विद्युत भार की कटौती हेतु सीबीआई तथा बीएसईएस के 20 अप्रैल 2017 को हुई एक बैठक में विद्युत भार को 4,121 केवीए से 2,473 केवीए तक आगे ओर कम करने की सहमति प्रदान की गई है। इस संबंध में संविदा अनुबंध प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार, विद्युत खपत आवश्यकताओं के गलत निर्धारण तथा अनुबंध मांग को कम करने हेतु विलम्बित कार्रवाई के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 1.42 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।